न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 179/2016/डिक्री

1. लाभचन्द पिता जयचन्द जाट
2. मनोहरलाल पिता जयचन्द जाट
3. रामेश्वर पिता जयचन्द जाट
4. कैलाशी पुत्री जयचन्द जाट
5. गुड्डी पुत्री जयचन्द जाट
6. कमला पुत्री जयचन्द जाट
7. शाणी पत्नि जयचन्द जाट

सभी निवासी जरखाना तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पिता भैरूलाल चौधरी कलाल
2. कैलाश पिता भैरूलाल दर्जी
3. दिलीप कुमार पिता भैरूलाल अग्रवाल
4. सोहनलाल पिता रतनलाल जैन
5. निहारबाला पत्नि जिनेन्द्र कुमार जैन
6. शकुन्तला पत्नि दीपक कुमार नलवाया
7. पृथ्वीराज पिता घमण्डीराम जाट
8. लेहरीबाई पत्नि घमण्डीराम जाट
9. शकूर मोहम्मद पिता बुन्दु शाह मेवाती

सभी निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

10. राज्य जरिये तहसीलदार बडीसादडी तहसील बडीसादडी
11. विशाल कुमार पिता दपतसिंह पितलिया
12. प्रवीण कुमार पिता दलपत सिंह पितलिया

दोनो निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
दिनांक 26.05.2016 प्रकरण सं. 22/2014

उपस्थित – 1. श्री सुरेश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री छोगालाल जाट– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट–1 व 2

निर्णय दिनांक– 01.12.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ग्राम भोपतपुरा की आराजी नम्बर 99 रकबा 3.87 है0 का बंटवाडा एंव हिस्सा घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया, इस प्रकार घोषणा एवं बंटवाडे का वादपत्र वादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमे अपीलान्ट द्वारा वादोत्तर के साथ काउन्टर

क्लेम प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार के आदेशानुसार न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जिसमे दिनांक 26/05/2016 को पेशी नियत की गयी जिसकी विधिवत कोई जानकारी, अपीलान्ट को नही दी गयी एवं अपीलान्ट के अधिवक्ता को भी नही दी गयी फिर भी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह दर्शित किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता को दुरभाष द्वारा सूचित किया। पक्षकारान द्वारा लिखित राजीनामा प्रस्तुत होने की स्थिति मे कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही मन मकसुद तरीके से अमल मे लाते हुए प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिस्सा रसीदी नियमानुसार नही की गयी है, वादीगण द्वारा भी अपने वादपत्र मे घोषणा हिस्सा की चाही है, इस प्रकार जो हिस्सा रसीदी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी वह विधि अनुकुल नही है एवं खातेदारान को नही सुना गया, तथाकथित प्राथमिक डिक्री जिस आदेशिका द्वारा जारी की गयी उसमे भी किसी दस्तावेज का आधार नही बताया गया है जिसमे अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 26/05/2016 को निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार है वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 क्रेतागण है। उक्त विक्रयनामे के माध्यम से सम्पूर्ण हिस्सा नही बेचा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 13/06/2016 को प्रकरण जवाबदावे हेतु निर्धारित था परन्तु उसके पूर्व ही लोक अदालत मे दिनांक 26/05/2016 को फैसला कर दिया गया। आदेशिका पर यह भी उल्लेखित है कि अधिवक्ता को फोन पर लोक अदालत की सूचना दी गई जो विधिसम्मत नही है। प्रकरण मे किसी प्रकार का राजीनामा नही हुआ है तथा न ही तनकियात कायम होकर साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। यह अपील प्राथमिक डिक्री की है जिसमे अपीलान्ट का पूरा नाम व हिस्सा ही उडा दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर, निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण बंटवाडे का था। पत्रावली मे भोपतपुरा तहसील बडीसादडी के खसरा नम्बर 99 रकबा 3.87 है0 मे से 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान हुआ है जिसमे अपीलान्ट का कोई हिस्सा शेष नही

है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने के कारण अपील अपीलान्टस खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई जिस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण मे यह निर्विवादित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम विकास शिविर के सम्बन्ध मे नोटिस विधिवत तामील कराये बिना निर्णय पारित किया गया है तथा न ही किसी प्रकार का राजीनामा ही प्रस्तुत हुआ है। साथ ही निर्धारित तिथि से पूर्व ही पत्रावली लोक अदालत मे रखी गई है। अधिवक्ता को फोन पर कैम्प की सूचना देना न्यायोचित नही है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया विधिसम्मत नही होने के कारण खारीज होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी द्वारा प्रकरण संख्या 22/2014 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26/05/2016 अपास्त की जाकर प्रकरण मे उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़